न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 106/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/313

वादीगण	वनाम	प्रतिवादी
1.असकर खां उर्फ इस्कर उर्फ अस्कर पुत्र अमीन खां 2.खमेखान उर्फ खमीया उर्फ खमीदा पुत्र अमीन खां 3.मूसेखान उर्फ मूसाखां पुत्र अमीन खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिमरखिया तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.इव्रेखां पुत्र अकवर खां 2.कमरूदीन पुत्र अकवर खां 3.कासम खां पुत्र गफूर खां 4.चैनी पत्नि गफूर खां 5.जेती पुत्री नेकूखां 6.जवीला पुत्री नेकूखां 7.पठान खां पुत्र नेकूखां 8.बची पत्नि नेकूखां 9.शेरू खां पुत्र अकवर खां 10.सकूरखां पुत्र नेकू खां जाति मुसलमान निवासी सिमरखिया तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री उमरदीन मेहर ,अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जोबिन खां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 10
3. प्रतिवादी संख्या 11 अनुपस्थित।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

:–निर्णय:–

दिनांक 17.10.2025

1.संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम सिमरखिया तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 288,289,295 व 296 कुल क्षेत्रफल 2.6710 हैक्टयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की सहखातेदारी में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि पूर्व मे वादीगण के पिता अमीनखां की खातेदारी मे अवस्थित थी। वादीगण के पिता अमीनखां का देहान्त होने पर घरेलू बोलचाल भाषा मे वादी संख्या 1 का अशुद्ध नाम ईस्कर,वादी संख्या 2 का खमीदा व वादी संख्या 3 का अशुद्ध नाम मूसा दायर किया गया,जबकि वादी संख्या 1 से 3 का वास्तविक नाम असकर खां,खमेखान व मूसेखान है,लेकिन राजस्व रेकर्ड मे अशुद्ध प्रविष्टि के कारण वादीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओ का फायदा नही मिल रहा है,इसके कारा वादीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्ध प्रविष्टि नाम ईस्कर,खमीदा व मूसा के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि असकरखां,खमेखान व मूसेखान इन्द्राज करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री जोविन खां द्वारा वकालतनामा मय इकवाली जवाव पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाब पेश किया गया।

3.प्रतिवादी की ओर से इकवाली जवाब पेश किए जाने के कारण विवाद के विन्दु निहित नहीं होने के कारण वादी के वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी खमेखान द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी,प्रदर्श 2 से 4–वादग्रस्त भूमि की नक्शा प्रति,प्रदर्श 5–वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 18 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सिमरखिया तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 288,289,295 व 296 कुल क्षेत्रफल 2.6710 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादीगण को घरेलू बोलचाल भाषा मे ईस्कर,खमीदा व मूसा नाम से पुकारे थे। वादीगण के पिता का देहान्त होने पर फोतदगी नामान्तकरण भरते समय वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान के स्थान पर ईस्कर,खमीदा व मूसा अशुद्ध नाम दर्ज किए गए,जबकि वादीगण का वास्तविक नाम

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

असकरखां,खमेखान व मूसेखान है,लेकिन अशुद्व प्रविष्टि ईस्कर,खमीदा व मूसा इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखी है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादीगण का वास्तविक असकरखां,खमेखान व मूसेखान दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादीगण का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादीगण की ओर से अपनी दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से भी साबित किया गया है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि मे अशुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादीगण शुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज करवाने के हकदार है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम ईस्कर,खमीदा व मूसा के स्थान पर वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.प्रतिवादी संख्या 1 से 10 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादी का अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादीगण का वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान के स्थान पर ईस्कर,खमीदा व मूसा गलत नाम इन्द्राज हो रखे है,जो राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती की जाती है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात,बयानात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सिमरखिया तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 288,289,295 व 296 कुल क्षेत्रफल 2.6710 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसमें वादीगण का अशुद्व नाम इन्द्राज होना बताया है। जबकि पत्रावली के संलग्न वोटर कार्ड,जन आधार कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति वादीगण के नाम क्रमशःअसकर खां,खमेखां व मूखेखां नाम दर्ज है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने वादीगण के वाद–पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया तथा बहस में भी स्वीकार किया है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम ईस्कर,खमीदा व मूसा दर्ज हो रखा है,जबकि वादीगण के वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान है। इससे प्रमाणित होता है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादीगण दुरूस्ती करवाने के हकदार है। इसके

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) पाटोदा

अलावा प्रतिवादी संख्या 11 ने अपनी जांच रिपोर्ट मे भी स्पष्ट अंकन किया है कि वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के पिता अमीनखां के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण संख्या 18 भरने के दौरान वादीगण के अशुद्व नाम दायर किए गए थे,जबकि वादीगण के वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान है,जो रिकॉर्ड मे दुरूस्ती किए जाने की रिपोर्ट मे अनुशंषा की गई है। इस प्रकार वादीगण अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहे है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपने अशुद्व नाम ईस्कर,खमीदा व मूसा के स्थान पर असकरखां,खमेखान व मूसेखान दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सिमरखिया तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 288,289,295 व 296 कुल क्षेत्रफल 2.6710 हैक्टयर भूमि में वादीगण का अशुद्व नाम प्रविष्टि अस्कर,खमीदा व मूसा पिसरान अमीन के स्थान पर असकरखां,खमेखां व मूसेखां पिसरान अमीनखां दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
17/10/25

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
17/10/25

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 106/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/313

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.असकर खां उर्फ इस्कर उर्फ अस्कर पुत्र अमीन खां 2.खमेखान उर्फ खमीया उर्फ खमीदा पुत्र अमीन खां 3.मूसेखान उर्फ मूसाखां पुत्र अमीन खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिमरखिया तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.इब्रेखां पुत्र अकबर खां 2.कमरूदीन पुत्र अकबर खां 3.कासम खां पुत्र गफूर खां 4.चैनी पत्नि गफूर खां 5.जेती पुत्री नेकूखां 6.जबीला पुत्री नेकूखां 7.पठान खां पुत्र नेकूखां 8.बची पत्नि नेकूखां 9.शेरू खां पुत्र अकबर खां 10.सकूरखां पुत्र नेकू खां जाति मुसलमान निवासी सिमरखिया तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :–17.10.2025

वादीगण की ओर से श्री उमरदीन मेहर अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से श्री जोबिन खां अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 11 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 17.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** किः–वादीगण वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सिमरखिया तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 288,289,295 व 296 कुल क्षेत्रफल 2.6710 हैक्टयर भूमि में वादीगण का अशुद्व नाम प्रविष्टि अस्कर,खमीदा व मूसा पिसरान अमीन के स्थान पर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

असकरखां,खमेखां व मूसेखां पिसरान अमीनखां दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4._____रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा 17/10/25